न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 123/2024 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 16.08.2024
G.C.M.S. NO. :- 2024/123

भंवर लाल पिता रूप लाल जाति बंजारा, उम्र वयस्क, निवासी बागुण्ड, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–उप तहसीलदार, भादसोड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार भादसोड़ा प्रकरण संख्या 582/2023 निर्णय दिनांक 15.01.2024

उपस्थितिः–1– श्री हीरालाल सुखवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 06.11.2025

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का ग्राम बागुण्ड, पटवार हल्का बागुण्ड के आराजी नम्बर 716 रकबा 0.02 है. किस्म चरनोट भूमि पर नाजायज कब्जा मानते हुए राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 15.01.2024 को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं पेनल्टी लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

प्र. सं. 123/2024 (रा. अ.)
भंवर लाल पिता रूप लाल बंजारा निवासी बागुण्ड, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर वगैरा

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। उप तहसीलदार, भादसोड़ा से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील भदेसर के ग्राम बागुण्ड के पटवार हल्का बागुण्ड की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बागुण्ड की चरनोट आराजी संख्या 716 रकबा 0.02 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण एवं नाजायज कब्जा मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं लगान का 50 गुणा जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो विधि-विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विवादित भूमि चारागाह होना मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है जबकि उक्त विवादित भूमि चारागाह नहीं होकर अपीलांट के खातेदारी की भूमि है जिस पर पिछले 20 वर्षों से अपीलांट छत ड़ालकर मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। उक्त मकान निर्माण की 10,00,000/- अक्षरे दस लाख रूपये लागत लगी है तथा वहीं अपने मवेशियों को बांधता है। अपीलांट 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति होकर बहुत ही गरीब एवं गौभक्त व्यक्ति है। अपीलांट के विरूद्ध पूर्व में कार्यवाही नहीं हुई है। पटवार हल्का ने जो पर्चा मौका बनाया है वह अपीलांट की उपस्थिति में नहीं बनाया है। उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 28.07.2024 को हुई तथा जानकारी होते ही नकल निर्णय प्राप्त कर कानूनी सलाहकार से राय प्राप्त कर नकल प्राप्ति दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है फिर भी जो देरी हुई उसे क्षम्य किये जाने हेतु अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.01.2024 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय चरनोट भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान बनाकर निवास कर रहा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 123/2024 (रा. अ.)
भंवर लाल पिता रूप लाल बंजारा निवासी बागुण्ड, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर वगैरा

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पटवार हल्का बागुण्ड की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बागुण्ड की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 716 कुल रकबा 41.76 हैक्टेयर किस्म चरनोट भूमि है जिसमें से रकबा 0.02 हैक्टैयर पर अपीलांट ने नाजायाज कब्जा कर आर. सी. सी. छत का मकान बना रखा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी उप तहसीलदार, भादसोड़ा द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि–सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

पटवार हल्का बागुण्ड की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम बागुण्ड की आराजी नम्बर 716 रकबा 41.76 है. में से 0.02 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। यह भूमि किस्म चरनोट होकर मवेशियान के चराई के उपयोग की है तथा प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.01.2024 यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(प्रभा गौतम)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official